प्रमाणित प्रतिलिपि...
नम्बर मुकदमा 248/2020 उनुवान मुकदमा शिवांगी/रजनीश
नाम न्यायालय पारिवारिक न्यायालय सं.-1
पेशी/निर्णय तारीख 13/6/24

प्रति हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग पारिवारिक न्यायालय सं. 1
बीकानेर (राज.)

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय सं.-01, बीकानेर (राज.)

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश शिवांगी बनाम रजनीश मु.फौ.प्र.सं. – 248 / 2020 सी आई एस नंबर – 354 / 2020	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
13.06.2024	पक्षकारान के न्यायमित्र उपस्थित। गत पेशी पर प्रार्थीया शिवांगी तथा अप्रार्थी रजनीश की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी आवेदनों अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता की बहस सुनी गई। आज पृथक से आदेश लिखाया गया। मुताबिक आदेश अप्रार्थी रजनीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया शिवांगी को आदेशित किया जाता है कि:- (क) प्रार्थीया शिवांगी अप्रार्थी रजनीश के द्वारा बताये गये बैंक खाता संख्या व लॉकर इत्यादि का संपूर्ण विवरण सहित स्वीकारोक्ति और अस्वीकार करने के कथन शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करे। (ख) प्रार्थीया गत तीन वर्षो के इनकम टैक्स रिटर्न की पूर्ण प्रति (यदि कोई हो) भी न्यायालय में पेश करे। (ग) प्रार्थीया को यह भी आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी के कथनानुसार यदि वह अपना कोई व्यापार, कोचिंग/टयूशन संचालित करती है तो इस संबंध में उस संस्थान के संपूर्ण विवरण सहित उससे होने वाली आय के संबंध में अपना घोषणा पत्र और यदि ऐसा नहीं है तो इनकारी के संबंध में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत करे। इसी प्रकार प्रार्थीया शिवांगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रजनीश को निम्न प्रकार से आदेश दिया जाता है कि:- (क) अप्रार्थी विप्रो कंपनी में नौकरी करने एवं आय प्राप्त करने से संबंधित वेतन रसीद, गत तीन वर्षों के फॉर्म नंबर 16 तथा शपथ-पत्र पर मासिक आय मय कटौतियों का विवरण प्रस्तुत करे। (ख) अप्रार्थी रजनीश गत तीन वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न मय कम्पयूटेशन प्रति प्रस्तुत करे। (ग) अप्रार्थी रजनीश शपथ-पत्र पर अपने संपूर्ण म्यूचअल फंड, शेयर्स की खरीद-फरोख्त, धारित शेयर तथा म्यूचअल फंड का विवरण तथा उनसे होने वाली	C.S.

आय का विवरण अथवा शपथ-पत्र पर इनकारी प्रस्तुत करे।

(घ) अप्रार्थी शपथ-पत्र पर निजी पंजीकृत सॉफ्टवेयर डवलपर कंपनी के बंद होने तक के लेखे-जोखे तथा आय का विवरण प्रस्तुत करे, विकल्प में कंपनी के नाम सहित कोई आय नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करे।

उभय पक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त समस्त दस्तावेजात को आदेश की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर-भीतर आवश्यक रूप से पेश करेंगे। इस आदेश को अंतरिम भरण-पोषण की पत्रावली के साथ भी संलग्न किया जावे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही व साक्ष्य प्रार्थीया हेतु दिनांक 03-07-2024 को पेश हो।

न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय सं. 01
बीकानेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
पारिवारिक न्यायालय सं. 1
बीकानेर

पारिवारिक न्यायालय सं.-1, बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सत्य पाल वर्मा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध याचिका संख्याः 248/2020

सी.आई.एस.क्रमांकः 354/2020

शिवांगी आदि बनाम रजनीश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति-

1- प्रार्थीनी शिवांगी के न्यायमित्र।

2- अप्रार्थी रजनीश के न्यायमित्र।

-निर्णय- दिनांकः 13-06-2024

01- इस आदेश के द्वारा प्रार्थीया शिवांगी तथा अप्रार्थी रजनीश की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी आवेदनों अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का विनिश्चय किया जा रहा है।

02- अप्रार्थी रजनीश की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता में उसने प्रार्थीया शिवांगी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा आदि में दिये गये आदेश की पालना में प्रस्तुत शपथ-पत्र व दस्तावेजात दिनांक 14-09-2022 में अपनी वित्तीय स्थिति, व्यापार, कोचिंग/ट्यूशन और शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थीया शिवांगी के फिक्स डिपोजिट जमा, पोष्ट ऑफिस के खातों की पासबुक व पिछले तीन वर्षो के जमा-निकासी के विवरण तथा खाता खोलने व बंद करने की तारीख सहित विवरण तलब करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने आवेदन में प्रार्थीया शिवांगी के जमा खाते, सावधि जमा खाते इत्यादि के नंबर की सूची प्रस्तुत करते हुए यह भी जाहिर किया कि प्रार्थीया के दिल्ली व बीकानेर के बैंक लॉकर में भारी मात्रा में सोना-चांदी है जिसका संपूर्ण विवरण भी पंजाब नेशनल बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों के लॉकर सहित तलब करवाये जावे।

13.6.24
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय सं 01
बीकानेर (राज.)

03- बहस प्रार्थना-पत्र तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर विचार किया। उक्त आवेदन के जवाब का अध्ययन किया गया। प्रार्थीया शिवांगी के द्वारा इस आवेदन का मात्र यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि उसने अपने संपूर्ण बैंक खातों, सावधि जमा खातों की जानकारी आय से संबधित शपथ-पत्र में दे दी है। अप्रार्थी द्वारा कथित ग्राम रायसर, बीकानेर की कृषि भूमि से किसी प्रकार की आय अर्जित नहीं हो रही है, क्योंकि वह बारानी जमीन है तथा उसमें कोई खेती नहीं होती। बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी भी पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत इस जवाब के समर्थन में उसने कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। **अतः अप्रार्थी रजनीश के द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया शिवांगी अप्रार्थी रजनीश के द्वारा बताये गये बैंक खाता संख्या व लॉकर इत्यादि का संपूर्ण विवरण सहित स्वीकारोक्ति या अस्वीकार करने के कथन शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करे। प्रार्थीया को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह गत तीन वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की पूर्ण प्रति (यदि कोई हो) भी न्यायालय में पेश करे। साथ ही प्रार्थीया को यह भी आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी के कथनानुसार यदि वह अपना कोई व्यापार, कोचिंग/टयूशन संचालित करती है तो इस संबंध में उस संस्थान के संपूर्ण विवरण सहित उससे होने वाली आय के संबंध में अपना घोषणा पत्र और यदि ऐसा नहीं है तो इनकारी के संबंध में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत करे।**

04- प्रार्थीया शिवांगी की ओर से भी धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन दिनांक 28-07-2023 प्रस्तुत किया जाकर यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 17-01-2023 में अपनी आय के संबंध में सही, सत्य एवं पूर्ण जानकारी न्यायालय को नहीं दी है। सकल मासिक आय व फॉर्म नंबर 16 से संबंधित कोई जानकरी नहीं दी है। इनकम टैक्स रिटर्न की कोई प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। अपने सावधि जमा खातों, म्यूचअल फंड, शेयर, बैंकों से ब्याज के रूप में प्राप्त लाभांश, स्वयं के नाम की सॉफ्टवेयर डवलपर कंपनी के आय-व्यय के खातो का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे अप्रार्थी से तलब करवाया जावे।

05- बहस प्रार्थना-पत्र तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर विचार किया गया। अप्रार्थी रजनीश के द्वारा अपने जवाब में मात्र यह कहा गया है कि उसने अपनी आय के संबंध में संपूर्ण उल्लेख शपथ-पत्र में कर दिया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब दावा में सॉफ्टवेयर डवलपर प्राईवेट लिमिटेड

13.6.24
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
बीकानेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
पारिवारिक न्यायालय सं. 1
बीकानेर

कंपनी होने से इनकार किया है, बल्कि वह विप्रो कंपनी में फूल टाईम काम करता है। उसके स्वयं के नाम से कोई चालू एक्टिव कंपनी नहीं है। वर्ष 2014 में उसके पिता के साथ एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकृत करवाई थी, परन्तु उसमें भी आय का कोई लेना-देना नहीं हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी ने भी जवाब के साथ अपना शपथ-पत्र पेश नहीं किया है तथा ना ही यह स्थिति स्पष्ट की है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न भरता है अथवा नहीं। लिहाजा प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रजनीश को निम्न प्रकार से आदेश दिया जाता है कि:-

(क) अप्रार्थी विप्रो कंपनी में नौकरी करने एवं आय प्राप्त करने से संबंधित वेतन रसीद, गत तीन वर्षों के फॉर्म नंबर 16 तथा शपथ-पत्र पर मासिक आय मय कटौतियों का विवरण प्रस्तुत करे।

(ख) अप्रार्थी रजनीश गत तीन वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न मय कम्पयूटेशन प्रति प्रस्तुत करे।

(ग) अप्रार्थी रजनीश शपथ-पत्र पर अपने संपूर्ण म्यूचअल फंड, शेयर्स की खरीद-फरोख्त, धारित शेयर तथा म्यूचअल फंड का विवरण तथा उनसे होने वाली आय का विवरण अथवा शपथ-पत्र पर इनकारी प्रस्तुत करे।

(घ) अप्रार्थी शपथ-पत्र पर निजी पंजीकृत सॉफ्टवेयर डवलपर कंपनी के बंद होने तक के लेखे-जोखे तथा आय का विवरण प्रस्तुत करे, विकल्प में कंपनी के नाम सहित कोई आय नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करे।

06- उपर्युक्तानुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी के प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है, **परन्तु यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आवेदनों तथा उनके जरिये न्यायालय में आई साक्ष्य का साक्षिक मूल्यांकन मूल आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में किया जायेगा। इस आदेश के ताबे गत लगभग चार वर्षों से लंबित अंतरिम भरण-पोषण की सुनवाई व विनिश्चय स्थगित नहीं किया जायेगा। यदि पक्षकारान इस आदेश की पालना में प्रकटीकरण/घोषणा एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रजनेश बनाम नेहा आदि में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार गुणावगुण पर प्रतिकूल निष्कर्ष लिया जाकर मामले को गुणावगुण पर निस्तारित किया जायेगा।** पक्षकारान को यह हिदायत भी दी जाती है कि यह मामला संक्षिप्त विचारण का मामला है जिसे मात्र इस स्तर पर उक्त प्रकटीकरण के अभाव में लंबित नहीं रखा

13.6.24
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
बीकानेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
पारिवारिक न्यायालय सं. 1
बीकानेर

जायेगा। सुविधा की दृष्टि से उक्त आवेदनों के द्वारा निम्न प्रकार से आदेशित किया जाता है।

आदेश

07- परिणामतः अप्रार्थी रजनीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया शिवांगी को आदेशित किया जाता है कि:-

(क) प्रार्थीया शिवांगी अप्रार्थी रजनीश के द्वारा बताये गये बैंक खाता संख्या व लॉकर इत्यादि का संपूर्ण विवरण सहित स्वीकारोक्ति और अस्वीकार करने के कथन शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करे।

(ख) प्रार्थीया गत तीन वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की पूर्ण प्रति (यदि कोई हो) भी न्यायालय में पेश करे।

(ग) प्रार्थीया को यह भी आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी के कथनानुसार यदि वह अपना कोई व्यापार, कोचिंग/टयूशन संचालित करती है तो इस संबंध में उस संस्थान के संपूर्ण विवरण सहित उससे होने वाली आय के संबंध में अपना घोषणा पत्र और यदि ऐसा नहीं है तो इनकारी के संबंध में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत करे।

08- इसी प्रकार प्रार्थीया शिवांगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रजनीश को निम्न प्रकार से आदेश दिया जाता है कि:-

(क) अप्रार्थी विप्रो कंपनी में नौकरी करने एवं आय प्राप्त करने से संबंधित वेतन रसीद, गत तीन वर्षों के फॉर्म नंबर 16 तथा शपथ-पत्र पर मासिक आय मय कटौतियों का विवरण प्रस्तुत करे।

(ख) अप्रार्थी रजनीश गत तीन वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न मय कम्पयूटेशन प्रति प्रस्तुत करे।

(ग) अप्रार्थी रजनीश शपथ-पत्र पर अपने संपूर्ण म्यूचअल फंड, शेयर्स की खरीद-फरोख्त, धारित शेयर तथा म्यूचअल फंड का विवरण तथा उनसे होने वाली आय का विवरण अथवा शपथ-पत्र पर इनकारी प्रस्तुत करे।

(घ) अप्रार्थी शपथ-पत्र पर निजी पंजीकृत सॉफ्टवेयर डवलपर कंपनी के बंद होने तक के लेखे-जोखे तथा आय का विवरण प्रस्तुत करे, विकल्प में कंपनी के नाम सहित कोई आय नहीं होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करे।

13.6.24
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय सं. 01
बीकानेर (राज.)

09- उभय पक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त समस्त दस्तावेजात को आदेश की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर-भीतर आवश्यक रूप से पेश करेंगे।

10- इस आदेश को अंतरिम भरण-पोषण की पत्रावली के साथ भी संलग्न किया जावे।

(सत्य पाल वर्मा)
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय स 01
बीकानेर (राज.)

11- आदेश आज दिनांक 13-06-2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.6.24
(सत्य पाल वर्मा)
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय स 01
बीकानेर (राज.)